



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-11102025-266868
CG-GJ-E-11102025-266868

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 668]
No. 668]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 8, 2025/आश्विन 16, 1947
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 8, 2025/ASVINA 16, 1947

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिसूचना

गांधीनगर, 29 सितम्बर, 2025

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (भुगतान एवं निपटान प्रणाली) (संशोधन) विनियम, 2025

फा. सं. आईएफएससीए/जीएन/2025/010.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 12 की उपधारा (1) और धारा 13 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 28 और भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) की धारा 38 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (ख) से (च) के साथ पठित धारा 34ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (भुगतान एवं निपटान प्रणाली) विनियम, 2024 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात्:

- (1) इन विनियमों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (भुगतान एवं निपटान प्रणाली) (संशोधन) विनियम, 2025 कहा जाएगा।
- (2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (भुगतान एवं निपटान प्रणाली) विनियम, 2024 में, विनियम 3 के उप-विनियम (1) के विद्यमान खंड (घ) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा,

“(घ) “बोर्ड” का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा 2 के अंतर्गत गठित भुगतान नियामक बोर्ड से है”

प्रवीण त्रिवेदी, कार्यकारी निदेशक
[विज्ञापन-III/4/असा./402/2025-26]

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

NOTIFICATION

Gandhinagar, the 29th September, 2025

International Financial Services Centres Authority (Payment and Settlement Systems) (Amendment) Regulations, 2025

F. No. IFSCA/GN/2025/010.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 28 read with sub-section (1) of section 12 and sub-section (1) of section 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019) and section 34 B read with sub-section (1) and clauses (b) to (f) of sub-section (2) of section 38 of the Payments and Settlement Systems Act, 2007 (51 of 2007), the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations further to amend the International Financial Services Centres Authority (Payment and Settlement Systems) Regulations, 2024, namely:

1. (1) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Payment and Settlement Systems) (Amendment) Regulations, 2025.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the International Financial Services Centres Authority (Payment and Settlement Systems) Regulations, 2024, the existing clause (d) of sub-regulation (1) of regulation 3, shall be replaced as follows,

“(d) “Board” means the Payments Regulatory Board constituted under sub-section 2 of section 3 of the Act”

PRAVEEN TRIVEDI, Executive Director
[ADVT.-III/4/Ext./402/2025-26]